MR SPEAKER . Possibly I had not made myself clear on that point I am clarifying the matter.

So far as permission given in a particular matter is concerned, no other person can revise it because the permission has been already given by the presiding officer

So far as the ruling is concerned, in that particular case that ruling is binding Another person cannot revise it But the Speaker may not take it as a precedent for other cases but in that particular case he cannot revise the ruling because it is binding

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) On a point of order We are discussing the White Paper on Monday, and that White Paper is based on the Report of the Dass Committee We have received a copy of the White Paper, but we have not received a copy of the Report of the Dass Committee So, may I request you to ask the Government to supply us a copy of the Dass Committee's Report ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU We discussed it in the Business Advisory Committee and if I remember a right, we were assured that the Dass Committee's Report would be made available in sufficient numbers If it has not been done, it should be done now

MR SPEAKER We have already written to the Ministry for the Dass Committee's Report, and we are hoping to get it As soon as we get, we will distribute it

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar) By tomorrow

MR SPEAKER : On Monday,

PROF P G MAVALANKAR If we do not get the Report by tomorrow, how are we to speak on Monday ?

MR SPEAKER We will try to get

PROF P G MAVALANKAR : By tomorrow afternoon at least

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, बहस के पहले दास कमेटी की रिपोर्ट अगर कल मिल जाये तो हम लोग पढ कर उस को तैयार करेंगे ।

MR SPEAKER : Calling Attention. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav

SHRI JYOTIRMOY BOSU : When are you giving me permission ?

MR SPEAKER : I have already called Mr Yadav

Shri Jyotirmoy Bosu: I would like to know, so that I can be Present.

MR SPEAKER : About what ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : About the notice under 377 that I have given.

Mr. SPEAKER: That will be tomorrow, not today

SHRI JYOTIRMOY BOSU . Why not today?

MR SPEAKER Not today.

---

12 36 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Apprehension of damage to North Eastern railway line due to soil erosion.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (खगरिया) अध्यक्ष महोदय, मै अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मन्त्री का ध्यान दिलाता हू और प्रार्थना करता हू कि वे इस बारे मे एक वक्तव्य दे

"निकट भविष्य मे गगा नदी से भूमि के कटाव के कारण नारायणपुर और बाहपुर के बीच पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य लाइन को क्षति की आशका के समाचार ।"

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) महोदय, मै सदन को सूचित करना चाहूगा कि नारायणपुर रेलवे स्टेशन के निकट गगा नदी के बाए किनारे पर हो रहे कटाव से उत्पन्न खतरे की रेलवे को जानकारी है । कटाव और अधिक न होने पाये इसलिए नदी सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक निर्माण-कार्यों की आवश्यकता है और राज्य सरकार द्वारा उन निर्माण-कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है ।

नारायणपुर रेलवे स्टेशन के निकट गगा नदी द्वारा किये जा रहे कटाव पर रेले काफी अर्से से बडी सावधानीपूर्वक निगाह रख रही हैं । गगा बाढ नियन्त्रण आयोग और राज्य सरकार के साथ अप्रैल 1976 के दौरान हुई एक बैठक मे, रेलवे ने यह आशका व्यक्त की थी कि यदि नदी द्वारा किये जा रहे कटाव की रोकथाम न की गयी तो रेल लाइन को

गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप रेलवे के लिए यह आवश्यक हो जायेगा कि वर्तमान लाइन को वहा से हटा कर कही अन्यत्र बनाया जाये । उस बैठक के दौरान, राज्य सरकार ने हमे इस बा। से अवगत कराया था कि वे 1976 की वर्षा ऋतु से पहले कुछ तटबन्धो का निर्माण कार्य पूरा कर रहे है जिनसे नारायणपुर रेलवे स्टेशन तथा रेलवे लाइन का बचाव हो जायेगा । उपर्युक्त तटबन्धो का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के बावजूद, 1976 की बाढ से और कटाव होता रहा है और नदी किनारा काट कर रेलवे लाइन से 287 मीटर (940 फुट) की दूरी तक आ पहुची जबकि 1973 मे यह दूरी 1730 मीटर (5676 फुट) थी । अक्तूबर, 1976 मे आयी बाढ के तुरन्त बाद, राज्य सरकार तथा गगा बाढ नियन्त्रण आयोग के साथ हुई दूसरी बैठक मे, रेलवे ने कटाव निरोधी उपायो की तुरन्त व्यवस्था करके रेलवे लाइन और नारायणपुर रेलवे स्टेशन को बचाने की बात पर अधिक जोर दिया । रेल मन्त्रालय ने अपनी यह इच्छा भी व्यक्त कर दी थी कि वह कटाव निरोधी कार्यो पर होने वाले खर्च की अन्य सम्बन्धित पार्टियो, अर्थात् बिहार राज्य सरकार, परिवहन मन्त्रालय और भारतीय तेल निगम, के साथ बराबर-बराबर वहन करने के लिए तैयार है और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह इस काम को शीघ्र शुरू कर दे और इसे 1977 की वर्षा ऋतु से पहले-पहले पूरा कर दे । इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्तरो पर निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा गया ।

राज्य सरकार ने 5–5–1977 को इस काम को शुरू करने और इसे बिहार राज्य निर्माण निगम को सौंपने का विनिश्चय किया । तब से ही काम शीघ्र समाप्त करने के लिए रेल प्रशासन राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है और इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार तथा बिहार राज्य निर्माण निगम को माल डिब्बो की सप्लाई और सामान के शीघ्र संचलन के मामले से सभी सम्भव सहायता/सहयोग दे रहा है ।

नदी के किनारे का लगभग 2000 फुट भाग ऐसा है जिसे नदी से खतरा रहता है । इस अत्यधिक भेद भाग मे कटाव निरोधी उपाय बरतने सम्बन्धी काम का पहला चरण बिहार राज्य निर्माण निगम ने मई/जून, 1977 मे शुरू किया था । यह आशा थी कि यह कार्य पिछले महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा । लेकिन पानी के सामान्य स्तर से ऊपर चढने (9–7–1977 और 19–7–1977 के बीच 11 फुट से अधिक) के कारण आगे काम रोक दिया गया था । यदि नदी का कटाव रेलवे लाइन अथवा नारायणपुर टाउन के निकट आ जाता है तो ऐसी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए 2 लाख घन फुट पत्थर का स्टाक तैयार रखने की व्यवस्था की जा रही है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि नदी के जिस किनारे को खतरा पैदा हो गया है, उसे सुदृढ बनाये रखने के लिये सभी सम्भव उपाय करे । काम पूरा होने तक राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जायेगा ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव . अध्यक्ष महोदय, मत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे लाइन के ऊपर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है और इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है कि 1973 मे भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था लेकिन बाढ नियत्रण आयोग ने इस प्रकार का विश्वास दिलाया कि गगा के कटाव से बचाने के लिए हमने योजना स्वीकार की है जिससे बाढ और कटाव की समस्या दूर हो जाएगी । 1973–74 मे मैंने ही लोक सभा मे यह प्रश्न किया था । मै मत्री जी से जानना चाहूगा कि खगरिया से लेकर कटिहार तक गंगा तटबन्ध से होकर रेलवे लाइन गुजरती है और रेलवे लाइन की मुख्य धारा जो पहले

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

उत्तर-दक्षिण की तरफ थी, मुंघेर, भागलपुर हो कर बहती थी, वह अब भागलपुर, मुंघेर को छोड़ कर उत्तर की ओर बढ़ती जा रही है, जिस के कारण खगरिया से ले कर कटिहार तक पिछले तीन-चार दिनों मे रेलवे लाइन, आसाम रोम और तेल पाइपलाइन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सिचाई विभाग से मिल कर कोई इस प्रकार की योजना तैयार करेंगे कि गंगा की मुख्य धारा मुंघेर से सट कर चण्डी स्थान और भागलपुर हो कर बहे, ताकि जो उत्तरी भाग कट रहा है, वह बच सके? आप ने मानसी में तीन करोड़ रुपया खर्च किया और अब नारायणपुर मे खर्चा कर रहे है, बार-बार आपको खर्चा करना पड़ रहा है—इसलिए मै जानना चाहता हूं—क्या आप केन्द्रीय सरकार के सिचाई विभाग के साथ मिल कर कोई इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे है ताकि आगे किसी प्रकार का खतरा पैदा न हों ?

दूसरा प्रश्न —क्या रेल विभाग के पास सक्षम इंजीनियर नही थे, जिस के कारण बिहार के सिचाई विभाग के द्वारा आप कार्य को करा रहे है? वहां के सिचाई विभाग ने मानसी में जो काम किया, उसके घोटाले और भ्र टाचार के बारे में सब को मालूम है। मानसी बचाव की योजना में उक्त अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार और गोलमाल किया, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए गोताखोर ने उस का पता लगाया है और पेटीशन्ज कमेटी में भी इस मामले की छानबीन की है। वहां के इन्जीनियरों ने भ्रष्ट तरीके से करोड़ों रूपये की राशि कमाई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवदन करना चाहता हूं—आप के पास सक्षम इन्जीनियर है, जिन्होंने कोसी में इस प्रकार का काम किया है, वहां की रेलवे लाइन और पुल की बचाया है इसलिए क्या आप अपने इन्जीनियरों की लगा कर उस काम को पूरा करायेंगे ? गंगा की दूरी अब केवल 460 फुट रह गई है। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर तुरन्त ध्यान दें। और उन भ्रष्ट लोगों से मुक्ति दिलायें।

तीसरा प्रश्न—फलड् कन्ट्रोल विभाग ने इस काम का ठेका कंस्ट्रेकशन कारपोरेशन को दिया है। बिहार के भूतपूर्व सिचाई मंत्री डा० जगन्नाथ मिन्श्र ने अपने सम्बन्धियों के खाने-पीने और मौज करने के लिए कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन का निर्माण किया था और आज उसी कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। मैं 30-6-1977 की रात्रि को, जब मुझे कटाव के बारे मे टेलीग्राम मिला, सीधा वहां गया, कोई भी इंजीनियर वहां स्पोट पर नही था। मैं 11 बजे से 2 बजे रात्रि तक वहां रहा, केवल दो ओवरसीअर जो कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन और फ्लड़ कट्रोल के थे, वहां पर थे। कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन ने उस काम के लिए पेटी-कांट्रेक्टर्स को नियुक्त किया है। आप को चाहिए था कि आप सीधे फ्लड-कन्ट्रोल द्वारा काम कराते या रेलवे के इंजीनियरों से काम कराते। आप ने स्वयं स्वीकार किया है कि दो हजार फुट ऐसी जगह थी, जहां कटाव था। मैंने स्वयं उस दिन देखा कि एक हजार फुट में कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन ने अपने ठेकेदारों से काम कराया, लेकिन उसमें भी क्रेटिंग और बोल्डर्स 20 फूट नदी की सतह तक डालना चाहिए था, वे केवल 10 फूट और एक फुट ऊचाई तक डाला गया और 40 फुट का जो स्लोप तैयार करना चाहिए था—बोल्डर-पिचिंग के लिए, उस में कमी रह गई। एक हजार फुट में तो नही के बराबर काम हुआ। जब पानी आ गया, कटाव हो गया, तो तार की जितनी जालियां थी, सब को नदी में बसा दिया गया ताकि नाजायज ढंग से पैसा ले सकें। इस काम में केवल आप का पैसा

मिला है, परिवहन मंत्रालय, भारतीय तेल निगम और बिहार सरकार ने पैसा नहीं दिया है । इसलिए मंत्री महोदय से मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के सक्षम इन्जीनियरों से इस काम को कराये । बिहार सरकार से आप सहायता लें, लेकिन बिहार सरकार के उन भ्रष्ट इंजीनियरों को न ले, जिन्होंने मानसी मे करोडों रुपए का घोटाला किया है । इस प्रकार का आश्वासन आप दे ।

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, माननीय सदस्य ने तीन-चार सवाल उठाये है । सबसे पहले मैं उन को जानकारी देना चाहता हूं--इस काम की मूलत: या बुनियादी जिम्मेदारी रेलवे की न होते हुए भी हम लोगों ने देखा कि जो कटाव बढ़ता जा रहा है, उस से ज्यादा तकलीफ रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन और नजदीक के गावों को होने वाली है । इसलिए हम लोगों का इस सवाल की तरफ देखने का रवैया यह है कि रेलवेज, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री-क्योंकि इन्डियन आयल का सवाल आता है--और साथ ही साथ इर्रीगेशन डिपार्टमेंट और बिहार गवर्नमेंट, इन सब के सहयोग से इस सवाल को हल करने की कोशिश करें । हम किसी एजेंसी पर आरोप नही लगाना चाहते है लेकिन मूलत : यह जिम्मेदारी रेलवे की नही है फिर भी हमारा जो फर्ज है, उस को हम अदा करने के लिए तैयार हैं और जो भी जानकारी हमारे पास है, वह मैंने पहले अपने बयान में दे दी है । मैं यह भी आप को बता दूं कि जब हम लोगों ने गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमीशन के साथ बात की थी, उसी वक्त उन को बताया था कि हमें आशंका है कि इस से इरोजन बढ़ता रहेगा । मैं यह भी आप को बताना चाहता हूं कि कंस्ट्रेक्शन कार्पोरेशन की तरफ से जून, 1977 में काम शुरु हुआ और उस ने उस वक्त वहां पर स्टोन ट्रक्चर जिस को हिन्दी में 'स्पर्श' (spursh) कहते है, बनाने का काम शुरु किया लेकिन जब 9 जुलाई, से 19 जुलाई, तक और उस के बाद बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के बाद सब स्पर्श भी बह कर चले गये । इसलिए रेलवे ने यह सुझाव रखा था कि आगे चल कर हम को ज्यादा एम्बैकमेंट बनाने होंगे और उस के लिए ज्यादा सहयोग देने की बात हम ने तय की लेकिन जब तक बाढ़ का पानी वहा रहेगा, काम शुरु नही हो सकता । उस के लिए एक दूसरा विकल्प यह भी है की आगे चल कर एक डाईवर्जरी रूट बनाई जाये और वह 11 किलोमीटर का रूट होगा । इस को बनाने में हम लोगों को कोई तकलीफ नही है लेकिन उस के लिए हमें ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन गांव के लोगों की, किसानों की लेनी पड़ेगी । इसलिए उन्होंने इस विकल्प को स्वीकार नही किया क्योंकि वे लोग गरीब हैं और इस से उन की जमीन चली जाएगी और दूसरा काम यह होगा कि हाईवे की तरफ और दूसरे देहातों की तरफ अगर पानी जाएगा, तो उन को तकलीफ होगी । इसलिए जो एम्बैकमेंट की बात है, उसी पर वे जोर देना चाहते हैं और मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो चार एजेंसियां है, उस में रेलवे के इंजीनियर के सहयोग का जो सुझाव दिया गया है, उस के अनुसार हमारा पूरा सहयोग रहेगा और इस काम को हम पूरा करेंगे और बाढ़ के कारण जो देहातवालों को नुकसान होता है, हम कोशिश करेंगे कि वह न हो ।

हम लोगों ने यह भी कहा कि गंगा की धारा में परिवर्तन करें लेकिन गंगा के रुख के बदलने का जो काम है, वह

[प्रो० मधु दण्डवते]

हम लोगों के लिए कोई आसान काम नहीं होगा । इस में एक्सपर्टस की सलाह लेनी होगी और आयोग के जो एक्सपर्ट है और इरीगेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे और जो भी उन की सलाह होगी, उस के मुताबिक काम किया जाएगा ।

जहां तक खर्चे का सवाल है, चारो एजेंसियों के काम करने की बात बहुत अच्छी है लेकिन इन चारो एजेंसियों में सिर्फ रेलवे ही एक ऐसी एजेंसी रही है, जिस ने अपना हिसाब चुकता किया है । इससे पता चलता है कि रेलवे का कारोबार बहुत अच्छा रहता है और इस बात का सबूत भी आज इस सदन में मिला है । मैं यह आश्वासन सदन में देना चाहता हूं कि आगे भी हमारे अच्छे कार्य का सबूत आप को मिलता रहेगा चारो एजेन्सियों के सहयोग से इस सवाल को हल करने की हम कोशिश करेंगे यह आश्वासन मैं आप के जरिए सदन को देना चाहता हूं ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : बाढ़ के पहले इस पर कितना खर्च हुआ है ?

प्रो० मधु दंडवते : 12 करोड रुपए ।

12.48 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

Alleged misleading information given by the Minister of Home Affairs re. Belchi Incident

MR. SPEAKER : Yesterday Sarvashri C.K. Chandrappan and B. Rachiah sought to raise a question of privilege regarding alleged misleading information given to the House on the 13th June, 1977, in the statement made by the Minister of Home Affairs on a calling attention matter about atrocities on Harijans at Belchi village in Bihar. Some members stated that the Deputy Sepaker had given his consent to raise this matter under rule 222.

I then observed that the records did not show that the Deputy Speaker has given his permission under rule 222. In fact, what the Deputy Speaker had said in the House on the 16th July, 1977, was :

> "In accordance with the practice of the House in such matters, I have sent copies of the notices to the Minister of Home Affairs for his factual comments. I will take a decision in the matter after I receive a reply from the Home Minister."

The observations of the Deputy-Speaker were communicated in writing to Sarvashri C K. Chandrappan, K.A. Rajan, B.P. Kadam and Shrimati Parvathi Krishnan on the 16th July, 1977, itself.

The Lok Sabha Bulletin-Part I dated the 16th July, 1977, also contains an entry to this effect on this matter.

However, I observed yesterday that I would consult the Deputy-Speaker whether he had given his permission to his matter being raised under rule 222 as claimed by certain Members. The Deputy-Sepaker has informed me in categorical terms that he had not given permission to any Member under rule 222 to raise this matter in the House.

It is thus clear that the contention of these Members that the Deputy-Speaker had given them permission to raise this matter under rule 222 is not correct. I have already disallowed this matter as stated earlier on the ground that the question relating to motive for the occurrence is *sub-judice*.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : On a point of order. You have been pleased to observe...

श्री श्याम सुन्दर दास (सीतामढी) : अध्यक्ष महोदय, आपने गृह मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को अस्वीकृत कर दिया है । अब सवाल यह है कि माननीय सदस्यों ने जो गलत आरोप लगाया है और हाउस को मिसलीड किया है, क्या उनके विरुद्ध प्रिवलेज का मोशन आ सकता है या नहीं ?

MR. SPEAKER : There is no point of order. Please sit down. Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE: You have been pleased to observe yesterday and just now that you have not given permission because the matter is *sub judice*. I would only like to know as a matter of